

अज अदालत श्रीमती सुमन देवी ॥ आर.ए.एस. ,
बड़जलासः उपखंड अधिकारी सूरजगढ, झुन्डुनू (राजस्थान)

मदनलाल वगै० बनाम कंवर सिंह वगै०


दावा बाबत घोषणा, खाताविभाजन एवं रिकार्ड दुरुस्ती

मु०न० :-178 / 2021

निर्णय

दिनांक - 10.06.2025 को वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि मौजा ग्राम कासनी तहसील सूरजगढ की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 303 रकबा 4.73 है०, भूमि के पक्षकारान को मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 23.07.2024 में अंकितानुसार अलग-अलग खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार सूरजगढ को आदेशित किया जाता है कि वह विभाजन प्रस्ताव में अंकितानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें एवं रहन यदि कोई हो तो संबधित खातेदार को प्राप्त होने वाले कबे/हिस्से/खसरा नम्बर के पक्ष में दर्ज किया जावे। । विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार पर्चा डिक्री मुर्तिब हो।

यह आज दिनांक 10.06.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गयी।


(सुमन देवी ॥ आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ
सूरजगढ

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर सूरजगढ झुन्झुनू
श्रीमती सुमन देवी ॥ (आर.ए.एस.)

पीठासीन अधिकारी:-

मु०नं० 178/2021
निर्णय दिनांक:- 10.06.2025

मदनलाल वगै० बनाम कंवर सिंह वगै०

दावा बाबत घोषणा, खाताविभाजन एवं रिकार्ड दुरुस्ती

वादी अधिवक्ता द्वारा इस वाद मे आज की तारीख 10.06.2025 को श्रीमती सुमन देवी ॥ उपखंड अधिकारी सूरजगढ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और अन्तिम डिक्री दी जाती है कि-

वाद वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि मौजा ग्राम कासनी तहसील सूरजगढ की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 303 रकबा 4.73 है०, भूमि के पक्षकारान को मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 23.07.2024 में अंकितानुसार अलग-अलग खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार सूरजगढ को आदेशित किया जाता है कि वह विभाजन प्रस्ताव में अंकितानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें एवं रहन यदि कोई हो तो संबधित खातेदार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के पक्ष में दर्ज किया जावे। । विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा।

यह आज दिनांक 10.06.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गयी।

(श्रीमती सुमन देवी ॥ आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी

सूरजगढ
उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ